# संशोधित

**सं0 पी-11014/13/08-पीपी**
**भारत सरकार**
**संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**
**संचार भवन, 20 अशोक रोड,**
**नई दिल्ली**

## 2.1 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तथा 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडों में स्पैक्ट्रम की ई-नीलामी करने के लिए एजेंसी (अभिकरण) का चयन करने हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी)

1.1 प्रस्तावना

भारत में 22 दूरसंचार सेवा क्षेत्रों (अनुबंध-I) में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार, दो भागों यथा तकनीकी (अनुबंध-II क) तथा वाणिज्यिक (अनुबंध-II ख) में 3जी तथा बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की ई-नीलामी किए जाने के वास्ते ऐजेंसी का चयन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित किया जाता है। अलग-अलग मुहरबंद तथा सभी तरह से पूर्ण तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों बोलियों को तीसरे मुहरबंद लिफाफे में डालकर, 25 सितंबर, 2008 को 14.30 बजे तक बेतार सलाहकार, भारत सरकार, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

1.2 स्पैक्ट्रम की नीलामी के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश

3जी तथा बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी से संबंधित नीति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश, अद्यतन संशोधनों सहित www.dot.gov.in पर उपलब्ध है।

1.3 ई-नीलामी करने के लिए चयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु कंपनी के लिए पात्रता मानदंड :-

**1.3.1 बोलीदाता को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत अथवा भारत के बाहर किसी देश में निगमित विदेशी कंपनी अथवा ऐसी कंपनियों के संयुक्त उद्यम अथवा ऐसी कंपनियों के संकाय के रूप में परिभाषित किया गया है।**

कन्सोर्टियम उन कंपनियों का एक समूह होगा, जिनके पास एक अग्रणी भागीदार होगा, जहाँ कन्सोर्टियम का प्रत्येक भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग बोली और संविदा निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है और इस दायित्व को औपचारिक रूप दिया गया है तथा इसके लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। कन्सोर्टियम के अग्रणी भागीदार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन (एमओओ) की प्रति/प्रतियों सहित बोली प्रस्तुत की जाएगी।

1.3.2 बोलीदाता, निर्धारित आवेदन पत्र में, दो प्रतियों में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

1.3.3 बोलीदाता, वेतन तथा लेखा अधिकारी, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को देय भारतीय 50,000 रु0 के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा।

1.3.4 बोलीदाता की भारत में सीधे किसी भी दूरसंचार अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता में कोई इक्विटी नहीं होगी। इसी प्रकार, किसी भी दूरसंचार अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता की बोलीदाता में कोई सीधे इक्विटी नहीं होगी। इसके अलावा, बोलीदाता की भारत में किसी दूरसंचार अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता में पर्याप्त इक्विटी नहीं होगी और न

ही इसकी विपरीत स्थिति ऐसा होगा। इसके प्रयोजनार्थ, पर्याप्त इक्विटी को इक्विटी के 10% से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.3.5 बोलीदाता अपनी भारतीय और विदेशी इक्विटीधारिता (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) घोषित करेंगे।

1.3.6 आवेदन की तारीख को बोलीदाता के पास 2.5 करोड़ रु0 अथवा इसके समकक्ष की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए।

1.3.7 बोलीदाता और बोलीदाता कंपनी (अथवा कन्सोर्टियम के मामले में अग्रणी भागीदार) में उसके पर्याप्त इक्विटीधारकों का कम से कम 10 करोड़ अथवा समकक्ष का संयुक्त सरल मूल्य होगा। पर्याप्त इक्विटीधारक, वे होंगे, जिनके पास बोलीदाता कंपनी की कुल इक्विटी में कम से कम 10% अथवा इससे अधिक का इक्विटी स्टेक है। यह सूचना कानून के अनुसार पूर्णतः प्रामाणिक होनी चाहिए।

1.3.8 जिन बोलीदाताओं ने पिछले 3 वर्षों में स्पैक्ट्रम अथवा दूरसंचार लाइसेंसों की एक ही समय पर, नियंत्रित, आरोही आधार पर ई-नीलामियां आयोजित की हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.4 **अग्रिम धन (बयाना) :** सभी बोलीदाताओं को अपने आवेदन के साथ अग्रिम धन के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से 10 लाख रु0 की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। बैंक गारंटी का प्रोफार्मा अनुबंध-IV के रूप में संलग्न है।

## 1.5 कार्य का विस्तार

1.5.1 निम्नलिखित की नीलामी की जानी है :

(i) 3जी सेवाओं के लिए 1 अगस्त, 2008 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार, दूरसंचार सेवा क्षेत्रवार दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित ईवीडीओ के लिए 2.1 गीगाहर्ट्ज तथा 800 मैगाहर्ट्ज़ में स्पैक्ट्रम ब्लॉक।

(ii) बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए 1 अगस्त, 2008 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार, दूरसंचार क्षेत्रवार, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित 2.3 तथा 2.5 गीगाहर्ट्ज में स्पैक्ट्रम ब्लॉक।

1.5.2 चुनी गई एजेंसी के कार्य निम्नानुसार होंगे :-

(क) नियंत्रित, एक ही समय पर, आरोही आधार पर तथा भारत सरकार के साथ परामर्श में ई-पहलुओं सहित, ई-नीलामी की समग्र प्रक्रिया को डिजाइन, संरचित तथा कार्यान्वित करना ताकि निम्नलिखित लक्ष्य पूरे किए जा सके :-

(i) पारदर्शी तथा निष्पक्ष नीलामी तथा चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना
(ii) प्राप्त राजस्व का इष्टतम उपयोग
(iii) दूरसंचार सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना

**(इसमें भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित अंतः मत्रालयी समिति के साथ सतत् रूप से की गई बातचीत भी शामिल है।)**

(ख) बोली प्रक्रिया के लिए नियम निर्धारित करने हेतु परामर्श देना।

(ग) ई-नीलामी के लिए बोली दस्तावेज़ तैयार करना।

(घ) स्पैक्ट्रम की उपलब्धता और प्रतिस्पर्द्धी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार सेवा क्षेत्र वार एक इष्टतम नीलामी योजना विकसित करना।

(ङ) भारत तथा विदेश दोनों में उपयुक्त बाजार हित तथा उत्साह उत्पन्न करना।

(च) संपूर्ण प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली में सुरक्षा मानकों के संबंध में परामर्श देना और उसे सम्मिलित करना।

(छ) भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार 22 दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी आयोजित करना।

(ज) स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया का रिकार्ड तैयार करना।

(झ) यह प्रक्रिया पूरी होने तथा सफल बोलीदाता का चयन होने तक सभी प्रकार की अन्य अनुषंगी सेवाएं प्रदान करना।

## 1.6 विनियामक और वाणिज्यिक शर्तें/अपेक्षाएं

1.6.1 इस आरएफपी के किसी खंड की व्याख्या करने के लिए, दूरसंचार विभाग का निर्णय अंतिम और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

1.6.2 बोलीदाता और उसके सभी मूलभूत ईक्विटीधारक, सहायता-संघ और उसके सभी सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से 3जी/बीडब्लयूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी आयोजित करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

1.6.3 सभी 22 दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में स्पेक्म्ट्रम की प्रथम समकालिक आरोही ई-नीलामी का आयोजन संविदा पर हस्ताक्षर होने के तीन महीने के भीतर किया जाएगा। इसके पश्चात नीलामी का आयोजन आवश्यकता के अनुसार तथा विभिन्न दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एक (1) वर्ष के भीतर समय-समय पर किया जाएगा।

## 1.7 बोलियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1.7.1 बोली का मूल्यांकन 3 चरणों नामतः पात्रता, तकनीकी और वित्तीय चरणों में किया जाएगा। अतः बोली में निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित होंगे :-

**(क) उपर्युक्त पैरा 1.3 में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंड का ब्यौरा देते हुए सहायक दस्तावेजों सहित पत्र दो प्रतियों में पैरा 1.3.3 के अनुसार आवेदन शुल्क और उपर्युक्त पैरा 1.4 में यथा विनिर्दिष्ट बयाना राशि।**

(ख) इस आरएफपी के अनुबंध-II क के अनुसार अलग लिफाफे में मुहरबंद तकनीकी बोली दो प्रतियों में हो और यह सहायक दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टिकोण से पूर्ण हो और लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "तकनीकी बोली" लिखा हो।

(ग) इस आरएफपी के अनुबंध-II ख के अनुसार अलग लिफाफे में मुहरबंद वित्तीय बोली दो प्रतियों में हो और यह सहायक दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टिकोण से पूर्ण हो और लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "वित्तीय बोली" लिखा हो।

उपर्युक्त सभी तीनों दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएंगे और उन पर स्पष्ट रूप से **"3जी तथा बीडब्ल्यू सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी हेतु एजेंसी के चयन के लिए बोली"** लिखा हो।

1.7.2 बोलीदाता अपनी वित्तीय बोली में नीलामी से वसूले गये राजस्व के प्रतिशत के रूप में अपना शुल्क 1 अगस्त, 2008 के 3जी मार्गनिर्देशों के पैरा 5 में यथा उल्लिखित आरक्षित मूल्य को घटाकर कोट करेगा। स्पष्टता के लिहाज से सफल बोलीदाता (नीलामकर्त्ता) को सफलतापूर्वक नीलामी कार्य पूरा होने के पश्चात चरण-I के 22 सेवा क्षेत्रों में किया जाने वाला भुगतान भारत सरकार को यथा स्वीकार्य निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार होगा :-

**चयनित बोलीदाता की अनुमोदित बोली** $\mathbf{x\ (H_i - RP_i)}$

जहां

अनुमोदित बोली का अभिप्राय नीलामी से वसूली गयी राजस्व राशि का प्रतिशत घटा इस बोली के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अंततः स्वीकृत आरक्षित मूल्य से है।

(एच) $H_i$ भारत सरकार द्वारा संबंधित सेवा क्षेत्र के लिए प्राप्त और स्वीकृत की गयी उच्चतम बोली से है।

(आरपी) $RP_i$ संबंधित सेवा क्षेत्र के आरक्षित मूल्य से है।

22 सेवा क्षेत्रों की संख्या है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उद्धृत शुल्क में 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी दोनों के आयोजन का शुल्क शामिल है।

## 1.8 आरएफपी दस्तावेज, पूर्व-बोली बैठक और पेशकश के प्रस्तुतीकरण के संबध में स्पष्टीकरण और समय अनुसूची

1.8.1 3जी के साथ-साथ बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी का संचालन करने के लिए चुने जाने के लिए किसी बोलीदाता को बेतार सलाहकार, भारत सरकार दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली को इस आर0एफ0पी0 के साथ अनुलग्नक-III में संलग्न कार्यक्रम की समय अनुसूची के अनुसार इस आर0एफ0पी0 का उत्तर देना होगा।

1.8.2 8 सितंबर, 2008 में भावी बोलीदाताओं के साथ संचार भवन, नई दिल्ली में पूर्व बोली बैठक का आयोजन किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर मांगे गये स्पष्टीकरणों से संबंधित उत्तरो को आर0एफ0पी0 में सम्मिलित कर लिया गया है।

1.8.3 पात्रता मानदंड पूरा कर रहे बोलीदाताओं को समिति कक्ष, द्वितीय मंजिल, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली में 29 सितंबर, 2008 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से मूल्यांकन समिति के समक्ष उन्हें आबंटित समय के अनुसार बारी-बारी से उपस्थित होना अपेक्षित होगा। वे सभी बोलीदाता जो पात्रता मानदंड पूरा नहीं करते हैं, उनकी तकनीकी और वित्तीय बोलियां अनखुली वापस कर दी जाएंगी। सफल पात्र बोलीदाताओं को फैक्स और/अथवा ई-मेल के माध्यम से

अवगत करा दिया जाएगा। उनके नामों को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in में भी डाल दिया जाएगा।

1.8.4 अन्य कार्य-कलापों के लिए समय-अनुसूची का ब्यौरा अनुबंध-III के अनुसार होगा।

## 1.9 चयन संबंधी मानदंड

1.9.1 सभी बोलीदाताओं को अपनी तकनीकी बोली के एक भाग के रूप में निर्धारित प्रपत्र में पैरा 1.3 में यथा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं का चयन बोली के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर होगा। मूल्यांकन, तकनीकी और वित्तीय दो चरणों में होगा। जो आवेदक पात्रता मानदंड पूरा करते है, उन्हें नीलामी आयोजन करने संबंधी अपने अनुभव और क्षमता का स्पष्ट वर्णन करते हुए भारत सरकार द्वारा गठित मूल्यांकरन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। उनकी उपस्थिति के पश्चात ही बोलीदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन सभी पात्र बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएंगी जिनका तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात चयन किया जाता है। सभी पात्र बोलीदाताओं को तकनीकी बोलियों के खोले जाने के समय अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर केवल चयनित बोलीदाताओं को ही वित्तीय बोली खोलने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां, जो तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त नहीं होती हैं, को अनखुली अवस्था में लौटा दिया जाएगा।

1.9.2 तकनीकी बोली में विभिन्न मानदंडों को निम्नानुसार अधिमानता दी जाएगी :

| | | अधिमान |
|---|---|---|
| **क.** | **पिछले तीन (3) वर्षों में हुई निलामियों का कुल मूल्य** | **20%** |
| **ख.** | **पिछले तीन (3) वर्षों में हुई ई-निलामियों का कुल मूल्य** | **10%** |
| **ग.** | **पिछले तीन (3) वर्षों में हुई ई-निलामियों की कुल संख्या** | **20%** |
| **घ.** | **पिछले तीन (3) वर्षों में हुई दूरसंचार संबंधित निलामियों का कुल मूल्य** | **20%** |
| **ङ** | **नीलामी की रूपरेखा और संचालन संबधी ई-सुरक्षा पहलू** | **10%** |
| **च.** | **डोमेन का स्वामित्व और ई-नीलामी संबंधी साफ्टवेयर** | **10%** |
| **छ.** | **नीलामी प्रक्रिया की रूपरेखा और बोली दस्तावेजों संबंधी गतिविधियां** | **10%** |

1.9.3 पैरा 1.8.2 में उल्लिखित मानदंड के आधार पर 70% ओर उससे अधिक स्कोर करने वाले बोलीदाता ही तकनीकी रूप से सफल घोषित किए जाएंगे और केवल उनकी वित्तीय बोलियां ही आगे मूल्यांकन के लिए खोली जाएंगी। शेष बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां बिना खोले ही लौटा दी जाएंगी। सफल पात्र और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता (ओं) को फैक्स और/अथवा ई-मेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। उनके नाम दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर डाल दिए जाएंगे।

1.9.4 अंतिम चयन तकनीकी और वित्तीय मानदंड के संयुक्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय और तकनीकी मानदंडों को क्रमशः 80% और 20% अधिमान दिया जाएगा।

न्यूनतम वित्तीय बोली को पूर्ण अधिमान दिया जाएगा और शेष को सूत्र (न्यूनतम मूल्य/उद्धृत मूल्य) x 80% के अनुसार यथानुपात कम अधिमान दिया जाएगा। तकनीकी और वित्तीय मानदंडों के अधिमानता स्कोर को जोड़ा जाएगा और उच्चतम संयुक्त स्कोर वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा।

**1.9.5 तकनीकी रूप से योग्य दो या अधिक बोलीदाताओं की न्यूनतम उद्धृत दर (एल 1) समान होने की स्थिति में, ऐसे बोलीदाताओं में बोलियां नए सिरे से लगाई जाएंगी। इनमें से न्यूनतम वैध पेशकश वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।**

1.10.1 <u>शुल्क</u>

1.10.1 सफल बोलीदाता को उपर्युक्त पैरा 1.7.2 के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा किया जाएगा। वास्तविक नीलामी के लिए ही भुगतान किया जाएगा। किसी अन्य शुल्क अथवा व्यय के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

यदि दूरसंचार विभाग किसी सेवा क्षेत्र विशेष में ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, स्पेक्ट्रम में अधिक ब्लॉको की पहचान करता है तो सरकार संविदा की अवधि के दौरान सफल बोलीदाता (नीलामकर्त्ता) को उस क्षेत्र में दोबारा ई-नीलामी करने के लिए कह सकती है। इसे नई नीलामी समझा जाएगा और उपर्युक्त पैरा 1.7.2 में दिए गए अनुसार सफल बोलीदाता को अतिरिक्त अदायगी की जाएगी।

1.10.2 एक मुश्त शुल्क : सफल बोलीदाता (नीलामकर्त्ता) को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रति सेवा क्षेत्र 2.5 लाख रु0 राशि का एक मुश्त आकर्षक शुल्क दिया जाएगा :-

(क) सरकार एक अथवा अधिक अथवा सभी सेवा क्षेत्रों में नीलामकर्त्ता को संविदा प्रदान करने के बाद किसी भी स्तर पर नीलामी रोक देती है।
(ख) उच्चतम प्राप्त बोली आरक्षित मूल्य से अधिक हो परंतु सरकार को स्वीकार्य न हो।
(ग) 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा, सरकार द्वारा पेशकश की स्वीकृति के बाद, नीलामी प्रक्रिया के फलस्वरूप बोली राशि को अदा न किए जा पाने पर।

उपर्युक्त विकल्प (क) की स्थिति में, कुल एकमुंश्त शुल्क केवल 10 लाख रु0 अधिकतम तक सीमित होगा।

1.10.4 किसी सेवा क्षेत्र में कोई भी बोली प्राप्त न होने पर अथवा उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक न होने पर, नीलामकर्त्ता को कोई शुल्क नहीं अदा किया जाएगा।

1.11 <u>भुगतान</u> :

पैरा 1.7.2 के उपबंधों के अनुसार 25% की पहली किश्त की प्राप्ति की तारीख से एक (1) माह की अवधि के अंदर सफल बोलीदाता (नीलामकर्त्ता) को भुगतान कर दिया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सफल बोलीदाता को भुगतान केवल भारतीय रु0 (आईएनआर) में किया जाएगा।

1.12 <u>आरएफपी/नीलामी के संबध में दूरसंचार विभाग के अधिकार</u>

1.12.1 दूरसंचार विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कारण बताए किसी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।

1.12.2 दूरसंचार विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि दूरसंचार विभाग की राय में यह जरूरी है अथवा जनहित में अनिवार्य है अथवा देश की सुरक्षा के हित में है अथवा ई-नीलामी प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए, वह बोली प्रक्रिया के पश्चात सफल बोलीदाता को प्रदत्त शर्तों में बदलाव कर सकता है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

1.12.3 दूरसंचार विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि उसकी राय में यह आवश्यक है अथवा जनहित में अनिवार्य है तो वह ई-नीलामी को स्थगित, चयनित पक्ष के साथ आंशिक अथवा पूर्ण रूप से संविदा रद्द कर सकता है।

1.12.4 इस संबंध में दूरसंचार विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके साथ-साथ पूर्वोक्त कार्रवाई से हुए किसी नुकसान अथवा हानि के लिए दूरसंचार विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

**1.12.5 चयनित पक्ष दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति के निर्देशों और सलाह के अधीन कार्य करेगा।**

## 1.13 निष्पादन बैंक प्रत्याभूति

1.13.1 ई-नीलामी के संबध में संविदा/करार पर हस्ताक्षर से पहले सफल कंपनी निर्धारित फार्मेट में 50 लाख रु0 राशि की एक निष्पादन बैंक प्रत्याभूति जमा कराएगी। नीलामी प्रक्रिया के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर यह निष्पादन बैंक प्रत्याभूति लौटा दी जाएगी। निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का प्रपत्र अनुबंध-V पर संलग्न है।

## 1.14 सुरक्षा संबंधी शर्तें

1.14.1 कंपनी को संविदा/करार के इस भाग के माध्यम से प्रदान की गई सूचना को गोपनीय, सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए समुचित और समयानुसार उपाय सुनिश्चित करने होंगे।

1.14.2 कंपनी को ई-नीलामी प्रणाली मे आंतरिक सुरक्षा संरचना की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

## 1.15 अपरिहार्यता

यदि इस संविदा के जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध या हिंसा, जन-शत्रुओं के क्रियाकलापों, नागरिक आंदोलन, तोड़फोड, सरकारी कार्रवाई या सांविधिक प्राधिकारी के निदेश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो संविदाकार की स्थापनाओं और सुविधाओं से बाहर हों) आग, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं अथवा दैवी प्रकोप (जिसे एतद्पश्चात "घटना " के रूप में संदर्भित किया गया है) के कारण इस संविदा के तहत आने वाले संपूर्ण कार्य अथवा किसी दायित्व के आंशिक निष्पादन में रूकावट आती है अथवा उसमें देरी होती है तो ऐसी घटना के कारण बशर्ते ऐसी घटना होने के 21 कैलेंडर दिवस के अंदर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी घटना की सूचना दे दी जाती है, किसी भी पक्ष को इस घटना के कारण इस संविदा को समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा, न ही किसी पक्ष को कार्य निष्पादन न करने या निष्पादन संबंधी विलंब के लिए दूसरे पक्ष के विरूद्ध हर्जाने का दावा करने का अधिकार होगा, बशर्ते ऐसी घटना की समाप्ति या उसके न रहने पर निष्पादन कार्य को यथा व्यवहार्य जल्दी से जल्दी पुनः शुरू किया गया हो। इस संबध मे सचिव, दूरसंचार विभाग का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा कि क्या यह सेवा इस प्रकार पुनः आरंभ की जानी चाहिए (और वह समय सीमा, जिसके भीतर यह सेवा पुनः आरंभ की जानी चाहिए) या नहीं। इसके अलावा, यदि संपूर्ण कार्य या संविदा के तहत आने वाले किसी दायित्व के किसी भाग के निष्पादन में ऐसी

किसी घटना के कारण 60 दिन की अवधि से अधिक व्यवधान या विलंब हुआ हो तो कोई भी पक्ष अपनी इच्छा से इस संविदा को समाप्त कर सकता है।

## 1.16 माध्यस्थम

(क) इस करार के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद के उत्पन्न होने की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में विशिष्ट रूप से इस कारार के तहत विशेष रूप से निर्णय दिया गया हो) उन्हें सचिव, दूरसंचार विभाग (जिसे एतद्पश्चात उपर्युक्त अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है) के मूल माध्यस्थम के लिए प्रस्तुत किया जाए, यदि सचिव, दूरसंचार विभाग इस रूप में कार्य करने के लिए समर्थ अथवा सहमत न हों तो सचिव दूरसंचार विभाग द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के मूल माध्यस्थम के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने संबधी करार माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम 1996 के अनुसार होगा। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम 1996 अथवा अन्य सांविधिक उपाय या उस पर बनाए गए किसी पुनर्- अधिनियम अथवा उसके किसी नियम द्वारा नियंत्रित होगा।

(ख) यह मध्यस्थ समय-समय पर दोनों पक्षों की सहमति से निर्णयों को तैयार करने और प्रकाशित करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। उपर्युक्त माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम, उसका आशोधन जो उस समय प्रभावी हो, इस उपबंध के तहत आने वालें माध्यस्थम पर लागू समझे जाएं।

(ग) इस माध्यस्थम प्रक्रिया का कार्य स्थान सचिव, दूरसंचार विभाग का कार्यालय अथवा मध्यस्थ द्वारा निर्धारित कोई अन्य स्थान होगा।

(घ) उपर्युक्त किसी भी या प्रत्येक संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया संबधी लागतों और अनुषांगिक व्यय का आकलन मध्यस्थ के विवेकाधीन होगा।

*******

अनुबंध-।

## सेवा क्षेत्र (दूरसंचार सर्किल/महानगर) तथा इस लाइसेंस के उद्देश्यार्थ उनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र

| क्र0सं0 | दूरसंचार सर्किल/सेवा क्षेत्र महानगर का नाम | कवर किए गए क्षेत्र | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 01 | प0 बंगाल | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता महानगर सेवा क्षत्र के अंतर्गत कवर होने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। | ख |
| 02 | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | क |
| 03 | असम | असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | ग |
| 04 | बिहार | दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 2000 का 30) के अनुसार नवनिर्मित झारखंड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | ग |
| 05 | गुजरात | गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | क |
| 06 | हरियाणा | फरीदाबाद एवं गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों तथा पंचकूला नगर को छोड़कर, हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | ख |
| 07 | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | ग |
| 08 | जम्मू एवं कश्मीर | लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | ग |
| 09 | कर्नाटक | कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | क |
| 10 | केरल | केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्षद्वीप एवं मिनिकॉम के अंतर्गत जाने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | ख |
| 11 | मध्य प्रदेश | दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 : 2000 का 28) के अनुसार नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनगर्ठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | ख |
| 12 | महाराष्ट्र | मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | क |
| 13 | पूर्वोत्तर | अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | ग |
| 14 | उड़ीसा | उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | ग |
| 15 | पंजाब | पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा हरियाणा के पंचकूला नगर के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | ख |
| 16 | राजस्थान | राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र । | ख |
| 17 | तमिलनाडु | चेन्नई टेलीफोन, मराईमलाई नगर निर्यात संवर्द्धन ज़ोन (एमपीईजेड), मिनजुर एवं महाबलीपुरम एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। | क |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | उत्तर प्रदेश पश्चिम | पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : पीलभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी एवं एटावाह। इसमें गाजियाबाद एवं नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। हालांकि, इसमें दिनांक 25 अगस्त, 2000 के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(सं0 2000 का 29) के अनुसरण में नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य शामिल होगा। | ख |
| 19 | उत्तर प्रदेश पूर्व | पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : शाहजहांपुर, फरूर्खाबाद, कानपुर एवं जलाऊँ । | ख |
| 20 | दिल्ली | दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, एवं गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र। | महानगर |
| 21 | कोलकाता | कलकत्ता टेलीफोन्स के अंतर्गत आने वाले महानगर स्थानीय क्षेत्र । | महानगर |
| 22 | मुम्बई | मुम्बई, नवीं मुम्बई एवं कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र | महानगर |

**नोट :**

1. येनम, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का भाग, पूर्वी गोदावरी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत आता है।

2. एक्सचेंजों के स्थानीय क्षेत्रों की परिभाषा मौजूदा सेल्यूलर प्रचालकों के लिए अर्थात महानगर के सेल्यूलर लाइसेंस प्रदान करने के समय लागू के अनुसार होगी।

3. इस लाइसेंस के लिए उपर्युक्त सेवा क्षेत्र के संबंध में स्थानीय क्षेत्रों के लिए यथा प्रयोज्य परिभाषा वर्ष 1994 एवं 1995 में, जब वे लाइसेंस उन्हें प्रदान किए गए, सेल्यूलर मोबाइल सेवा लाइसेंसों के लिए प्रयोज्य परिभाषा के अनुसार है। यह ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के संबंधित राजपत्र अधिसूचना, जहां कहीं भी जारी की गईं, के अनुसार तथा भारतीय टेलीफोन नियमावली 1951 के नियम 2(ब) की सांविधिक परिभाषा के अनुसार, जैसा कि वर्ष 1994/1995 के दौरान, कोई विशिष्ट राजपत्र अधिसूचना के जारी नहीं होने पर, अधिसूचना लागू थी, होगी।

अनुबंध-II क

## तकनीकी बोली का प्रपत्र

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

1. बोलीदाता का नाम : ______________________________

(संघ के मामले में अग्रणी भागीदार)

2. डाक का पूरा पता

टेलीफोन/फैक्स सं0/ई-मेल सहित

(i) निगमित कार्यालय ______________________________

______________________________

(ii) भारत में पंजीकृत कार्यालय ______________________________

3. पत्र व्यवहार का पता ______________________________

टेलीफोन/फैक्स सं0/ई-मेल सहित ______________________________

______________________________

4. संपर्क किए जाने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ______________________________

उसका पदनाम, पता एवं टेलीफोन/फैक्स सं0/ई-मेल

5. संस्था के अंतर्नियम और समझौता ज्ञापन सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति

**(संघ के मामले में अग्रणी भागीदार)**

(प्रति कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित करने हेतु)

6. (क) पर्याप्त इक्विटी धारकों का ब्यौरा (कानून के अधीन विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित)

**(संघ के मामले में प्रमुख भागीदार तथा इसके सभी सदस्यों)**

| क्र0सं0 | शेयरधारक का नाम | भारतीय/विदेशी | इक्विटी प्रतिशतता | नेटवर्थ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. प्रदत पूंजी (कानून के अंतर्गत विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित) :
**(संघ के मामले में प्रमुख भागीदार)**

8. भारतीय कंपनी और विदेशी भागीदार (भागीदारों ) के मध्य हस्ताक्षरित करार, यदि कोई हो की प्रमाणित प्रति

**(संघ के मामले में, प्रमुख भागीदार और इसके सभी सदस्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की प्रति को संलग्न किया जाएगा।)**

9. निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा यह मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) प्रस्तुत करना कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।

10. बोलीदाता के पास भारत के किसी **दूरसंचार या इंटरनेट** सेवा प्रदाता कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से कोई इक्विटी नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार, किसी दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाता के पास बोलीदाता की कोई इक्विटी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरक्त, बोलीदाता के पास भारत के किसी दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी में अत्यधिक मात्रा में इक्विटी नहीं होनी चाहिए अथवा विलोमतः। इस प्रयोजनार्थ, 10% से अधिक की इक्विटी को पर्याप्त इक्विटी के रूप में परिभाषित किया गया है। **(संघ के मामले में, प्रमुख सदस्य और इसके प्रत्येक भागीदारों को प्रमाण-पत्र देना होगा) (ऐसा प्रमाण-पत्र कंपनी सचिव द्वारा दिया जाना हैं।)**

11. **पिछले पांच (5) वर्षों में की गई ई-ऑक्शन (ई-नीलामी) के ब्योरे सहित स्व-प्रमाणीकरण** (संघ के मामले में, ये ब्योरे प्रमुख सदस्य और इसके सभी भागीदारों के संबंध में प्रस्तुत किए जाएंगे।)

12. विगत पांच (5) वर्षों में आयोजित की गई स्पेक्ट्रम अथवा दूरसंचार लाइसेंसों की एककालिक आरोही **ई-नीलामी आयोजित करने के बयौरे सहित स्व - प्रमाणीकरण** (संघ के मामले में, ये ब्योरे प्रमुख सदस्य और इसके सभी भागीदारों के संबंध में प्रस्तुत किए जाएंगे।)

13. कृपया निम्नलिखित के संबंध में बोलीदाता कंपनी की क्षमता और ब्योरे प्रदर्शित करें :

**क. पिछले तीन (3) वर्षों में आयोजित की गई नीलामियों का कुल मूल्य**
**ख. पिछले तीन (3) वर्षों में आयोजित की गई ई-नीलामियों का कुल मूल्य**
**ग. पिछले तीन (3) वर्षों में आयोजित की गई ई-नीलामियों की कुल संख्या**
**घ. पिछले तीन (3) वर्षों में दूरसंचार से संबंधित नीलामियों का कुल मूल्य**
**ङ नीलामी के डिजाइन और आयोजन में ई-सुरक्षा संबंधी पहलू ।**
**च. डोमेन तथा ई-ऑक्शन (ई-नीलामी) से संबंधित साफ्टवेयर का स्वामित्व (स्वामित्व का वर्ष भी बताएं)**
**छ. नीलामी प्रक्रिया का डिजाइन तथा बोली दस्तावेज का विकास**

उपर्युक्त ब्योरे यथा लागू विवरणों सहित स्व-प्रमाणीकरण के रूप में ग्राहकों के नाम सहित वर्ष वार दिए जाने चाहिए। (संघ के मामलें में ये ब्योरे प्रमुख सदस्य के संबंध में प्रस्तुत किए जाने हैं तथा इसके सभी भागीदारों के ब्योरे भी संलग्न किए जाने होंगे)

**प्रमाण-पत्र/वचन बंध :**

क. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने 3 जी और बीडब्ल्यूए हेतु स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी का आयोजन करने के लिए एजेंसी के चयन के लिए प्रस्ताव दस्तावेज संबंधी अनुरोध के निबंधन एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मै इसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करने का वचन देता है।

ख. मैं समझता हूँ कि यदि यह आवेदन किसी भी संबंध में अधूरा पाया जाता है और/या यदि सशर्त अनुपालन का पता चलता है या आवेदन शुल्क के बिना पाया जाता है तो आवेदन सरसरी तौर पर खारिज़ कर दिया जाएगा।

ग. मैं समझता हूँ कि कारण कोई भी हो, आवेदन शुल्क अप्रतिदेय है।

घ. मैं, मुझे अधिसूचित किए गए निर्धारित समय-सीमा के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूँ और ऐसा न करने पर मेरे आवेदन को निरस्त माना जाएगा तथा आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

ङ मैं जानता हूँ कि प्रस्ताव और या संविदा, यदि मुझे सौंपी जाती है, से संबंधित सभी मामले, केवल दिल्ली/नई दिल्ली के न्यायालय/अधिकरण (अधिकरणों) के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होंगे।

**च. मैं जानता हूँ कि यदि किसी भी समय मेरे प्रस्ताव में दी गई कोई सूचना या दिया गया कोई प्रकथन गलत पाया जाता है तो मेरे आवेदन तथा ऐसे आवेदन के आधार पर संविदा, यदि कोई सौंपी गई हो, को निरस्त कर दिया जाएगा।**

दिनांक : हस्ताक्षर एवं प्राधिकृत
स्थान : हस्ताक्षर कर्ता
का नाम

(कंपनी की मोहर)

**अनुबंध-II ख**

## वित्तीय बोली का प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम और पता :

2. नाम :

3. पता :

4. टेलीफोन नं0 :

5. फैक्स नं0 :

6. ई-मेल पता :

7. उद्धृत शुल्क :

आरएफपी के पैरा 1.7.2 के अनुसार प्रतिशत (%) शुल्क (सभी 22 सेवा क्षेत्रों के लिए एक समान %) :

नोट - उद्धृत प्रतिशत शुल्क में बोली के जमा किए जाने की तारीख को लागू सभी सांविधिक उगाहियां और कर शामिल होंगे। यह भी नोट किया जाए कि संविदा की चालू अवधि के दौरान शुल्क में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

**बोलीदाता कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर**

(कंपनी का नाम) के लिए और की ओर से

अनुबंध-III

## कार्यक्रमों की सूची

| क्र0सं0 | क्रिया कलाप | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | बोली का जमा किया जाना जिसमें आवरण पत्र, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव निहित हैं | 25 सितंबर, 2008 को 14.00 बजे |
| 2 | आवरण पत्र का खोला जाना और योग्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं का चयन | 25 सितंबर, 2008 को 14.30 बजे |
| 3 | पात्र बोलीदाता की घोषणा | 26 सितंबर, 2008 |
| 4 | योग्य बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुती और तकनीकी बोलियों का खोला जाना | 29 सितंबर, 2008 को सुबह 10.00 बजे से |
| 5 | तकनीकी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत सूची को अंतिम रूप देना और उनकी घोषणा करना | 1 अक्तूबर, 2008 |
| 6 | तकनीकी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का खोला जाना | 3 अक्तूबर, 2008 को 11.00 बजे |
| 7 | बोलियों को अंतिम रूप देना | 6 अक्तूबर, 2008 |

अनुबंध-V

# अग्रिम धन बैंक गारंटी सम्बन्धी प्रोफार्मा

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

नई दिल्ली।

1. जबकि ____________________________ (इसके बाद "प्रस्तावकर्ता" कहा जाएगा) डीओटी आरएफपी दस्तावेज संख्या पी-11014/13/08- पीपी के अनुपालन में 3 जी तथा ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बी डब्ल्यु ए) सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु एजेन्सी के चयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है।

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम ________________________ बैंक शाखा (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) भारत के राष्ट्रपति (जिनका उल्लेख इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में किया जाएगा) के प्रति _____________________________________ रू0 की राशि (केवल _________________ रू0) के लिए जिसका भुगतान उक्त प्राधिकारी को वास्तव में किया जाएगा, बैंक स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों तथा अपने प्रतिनिधियों को इन विलेखों के माध्यम से बाध्य करता है।

2. इन दायित्वों की शर्तें इस प्रकार होंगी :

(i) यदि प्रस्तावकर्ता अपना प्रस्ताव प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट इसकी वैधता अवधि के दौरान वापस ले लेता है, अथवा

(ii) यदि प्रस्तावकर्ता को प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की वैधता की अवधि के दौरान प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अधिसूचित कर दिया जाए।

(क) संविदा प्रपत्र को कार्यान्वित करने में, यदि अपेक्षित हो; विफल रहता हो या अस्वीकार कर देता हो; अथवा

(ख) प्रस्तावकर्त्ता के लिए अनुदेशों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता हो या अस्वीकार करता हो;

हम प्राधिकारी को मांगे जाने पर उपर्युक्त राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के तथा प्राधिकारी द्वारा अपनी मांग की प्रामाणिकता सिद्ध किए बिना करने की शपथ लेते हैं।

3. यह गारंटी इसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगी। अनुरोध करने पर यह अवधि अगले छः महीनों तक के लिए बढ़ाई जा सकती है और तत्सम्बन्धी कोई मांग बैंक तक इस बैंक गारंटी की वैधता की तारीख तक पहुंच जानी चाहिए।

4. उपर्युक्त के अन्तर्गत शामिल किसी तथ्य के होते हुए भी, गारंटी के अन्तर्गत हमारी विश्वसनीयता ________________ रू तक सीमित होगी और हमारी गारंटी आज की तारीख से दिनांक.................. तक प्रवृत होगी। जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग अथवा दावा हम पर दिनांक...................... तक की अवधि के भीतर लिखित रूप में न किया जाए, गारंटी के अन्तर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हम इसके अन्तर्गत सब प्रकार की देयताओं से मुक्त हो जाएंगे।

दिनांक _____________ दिन ________________ के लिए _______________________

(बैंक का नाम)
बैंक का हस्ताक्षर

साक्षी

1. ____________
2. ____________

## निष्पादन बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी " कहा गया है) द्वारा मैसर्स ..................................
(पंजीकृत पता .....................................................(जिन्हें इसके बाद **"नीलामकर्ता "** कहा गया है) को मांग पत्र सं0 .....................................दिनांक .......................के अनुसार, उक्त मांग पत्र/अनुबंध में दिए गए निबंधनों एवं शर्तों पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में, यथा संलग्न किए गए 22 सेवा क्षेत्रों में अनुबंध का विधिवत रुप से अनुपालन करने और ई-ऑक्शनों का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रुप में सेवा के लिए ..................रु0 (शब्दों में ...................................)मात्र की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के ई-ऑक्शन का कार्य (जिसे इसके बाद **"ई-ऑक्शन "** कहा गया है) करने के लिए चयन करने की सहमति दिए जाने के मद्देनजर हम ..........................(बैंक का नाम और पता तथा अन्य विवरण दें) (जिन्हें इसके बाद बैंक कहा गया है) **नीलामकर्ता** के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गारंटी देते हैं कि **नीलामकर्ता** वे सभी आवश्यक और कुशल सेवाएं प्रदान करेगा जो **नीलामकर्ता** द्वारा उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार सफल ई-ऑक्शनों के संबंध में और/अथवा उसके लिए प्रदान की जानी अपेक्षित हों और यह भी गारंटी देते हैं कि उक्त मांग पत्र/अनुबंध के तहत **नीलामकर्ता** द्वारा जो सेवा प्रदान की जाएंगी वे वास्तव में प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप अनुबंध के निबंधनों और शर्तों के खंड ...........................के अनुसार निष्पादित की जाएंगी।

2. हम, बैंक, इस गारंटी की अवधि बढ़ाने अथवा मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने में असफल रहने सहित उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार सफल ई-ऑक्शन के लिए उक्त **नीलामकर्ता** द्वारा अनुबंध को किसी प्रकार से भंग किए जाने के कारण प्राधिकारी को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा प्राधिकारी को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए प्राधिकारी को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो ............................रु0 (............................ रुपए) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, उक्त अनुबंध के निबंधनों के अनुसरण में, एतद्द्वारा प्राधिकारी को, **नीलामकर्ता** द्वारा उक्त अनुबंध के अनुसार सफल ई-ऑक्शन के लिए उसके/उनके समस्त दायित्वों का विधिवत और निष्ठापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य अभारी के रुप में, पूर्णतः अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से.............................रु0 (.......................................रुपए) मात्र की राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं।

4. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस गारंटी के तहत देय और भुगतान की जाने वाली राशियों का बिना किसी आपत्ति के प्राधिकारी द्वारा यह बताते हुए कि दावा की गई राशि उक्त **नीलामकर्ता** द्वारा उक्त अनुबंध में अंतर्विष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों को भंग किए जाने के कारण अथवा **नीलामकर्ता** द्वारा उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार सफल ई-ऑक्शन हेतु इसके किन्ही दायित्वों का निष्पादन करने में असफल रहने के कारण प्राधिकारी को हुई हानि अथवा क्षति के रुप में है अथवा होने वाली अथवा उठाई जाने वाली हानि अथवा क्षति के रूप में है, केवल मांग करने पर उनका भुगतान करने का भी वचन देते हैं।

5. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की सहमति देते हैं कि इस बात के संबंध में, कि क्या **नीलामकर्ता** यथा पूर्वोक्त उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार सफल ई-ऑक्शनों के लिए अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का निष्पादन अथवा निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा उसने उनको पूरा नहीं किया है और /अथवा क्या सेवा कमियों और दोषों से रहित है और क्या यह उक्त अनुबंध के अनुसार ई-ऑक्शन के अनुरूप है अथवा नहीं है तथा इसके तहत बैंक द्वारा प्राधिकारी को कितनी राशि देय है, प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बैंक पर बाध्यकारी होगा।

6. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की घोषणा और सहमति भी देते हैं कि :

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से 15 महीने की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त अनुबंध के तहत और प्राधिकारी को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने तथा प्राधिकारी के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त **नीलामकर्ता** द्वारा उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार ई-ऑक्शन कार्य पूर्णतः और समुचित रूप में कर दिया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी निबंधन अथवा शर्तो में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त **नीलामकर्ता** द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त **नीलामकर्ता** के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त अनुबंध से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त **नीलामकर्ता** का समय बढ़ाए जाने अथवा प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त **नीलामकर्ता** से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभू के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) नीलामकर्ता के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा **नीलामकर्ता** द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

7. हम, बैंक, यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान प्राधिकारी की लिखित रुप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

**8. उपर्युक्त दी गई किसी बात होते हुए भी, गारंटी के तहत, हमारी देयता.........................रुपए तक सीमित रहेगी और हमारी गारंटी इसकी तारीख से लेकर 15 महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इस गारंटी के तहत, जब तक इस तारीख अर्थात .....................तक हमसे लिखित रुप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त हो जाएंगे और हम उसके तहत अपने समस्त दायित्वों से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएंगे।**

दिनांक
.......................................दिन.........................................कृते.........................................

(बैंक का नाम)

साक्षी :

1.............................................
..............................................
..............................................
..............................................

2............................................
..............................................
..............................................
..............................................